

उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस

दिनांक : 101/2016

सुनवान

श्रीमति गीणा दत्तक पुत्र स्व. श्री रूपा गीणा, जाति- गीणा, निवासी ग्राम इन्द्रपुरी तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

-वादी

बनाम

श्रीमति मन्नी देवी पत्नी बाबूलाल पुत्री स्व.रूपा, जाति- गीणा, निवासी- ग्राम शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

श्रीमति भौरी देवी पत्नी चन्दालाल पुत्री स्व.रूपा जाति- गीणा,

श्रीमति बरदी देवी पत्नी रामलाल पुत्री स्व.रूपा, जाति- गीणा, निवासीग्राम- ग्राम मूंडली तहसील बरसी जिला जयपुर।

श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

- प्रतिवादीगण

घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज एवं रथाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वाद के राक्षेप मे तथ्य निम्न प्रकार है कि वादी ने मान्य न्यायालय के समक्ष वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी ग्राम इन्द्रपुरी तहसील सांगानेर जिला जयपुर का निवासी है। वादी के असल पिता श्री भौरीलाल गीणा थे जिनके स्व. रूपा पुत्र ग्यारसीलाल गीणा रिश्ते मे वादी के पिता के चाचा लगते थे। उनके केवल मात्र तीन पुत्रियाँ थी एवं इसके अलावा कोई जाईन्दा पुत्र संतान नहीं थी। स्व. रूपा एवं श्रीमति नारायणी द्वारा बचपन में ही वादी को गोद ले लिया था तथा वादी की सार संभाल, परवरिश, विवाह आदि स्व. नारायणी पत्नी रूपा द्वारा किये गये एवं वादी के साथ ही स्व. नारायणी निवास करती रही है। वादी स्व.रूपा का वैधिक पुत्र है। स्व. रूपा की दिनांक 22.2.2001 को मृत्यु हो गयी उनकी मृत्यु उपसंत स्व. रूपा की पत्नी श्रीमति नारायणी देवी द्वारा एक गोदनामा दिनांक 21.5.2004 को उपपंजीयक सांगानेर के समक्ष रजिस्टर्ड करवाया जिसमे श्रीमति नारायणी द्वारा वादी को स्वयं की समस्त चल व अचल सम्पति खातेदारी व आवादी भूमि का एक मात्र मालिक स्वामी होना स्वीकार किया गया है। वादी के दत्तक पिता स्व. रूपा पुत्र ग्यारसीलाल गीणा का दिनांक 22.2.2001 को निधन हो गया तथा उनकी खातेदारी की निम्नानुसार कृषि भूमि रही है - क. नया खाता संख्या 93 खसरा नम्बर 201, 455, 287 से 293, 296. कुल कित्ता 9 रकबा 1.8700 हैक्टर हिसा 1/10, ख. नया

अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस

दिनांक : 101/2016

2022, 1843

2
स्व. नारायणी देवी, ग. नया खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 196 रकबा 0.06 हैक मै.मु.
ध. नया खाता संख्या 95 खसरा नम्बर 185 रकबा 0.0100 हैक्टर।
निम्नानुसार वादी के दत्तक पिता स्व. रूपा पुत्र ग्यारसीलाल की कृषि भूमि थी।
कृषि भूमि में प्रतिवादिया न 2 व 3 द्वारा स्वयं के हक व हिस्से का स्व. श्रीमति
नारायणी देवी के पक्ष में हक त्याग कर दिया। प्रतिवादिया न 01 द्वारा स्वयं के हक
हिस्से को स्वयं के पास यथावत रखा इस पर राजस्व रिकार्ड में स्व. रूपा पुत्र
ग्यारसीलाल की मृत्यु उपरांत निम्नानुसार इन्द्राज हुश्रा -क. नया खाता संख्या 93
खसरा नम्बर 201 /455, 287 से 293,296, कुलकिता 9 रकबा 1.8700 हैक्टर में
स्व. नारायणी का हिस्सा 3/4 तथा प्रतिवादिया न. 1 का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा
180 ख. नया खाता संख्या 35 खसरा नम्बर 186, 187, 192, 198 कुलकिता 4
रकबा 1.2500 हैक्टर में स्व. नारायणी का हिस्सा 3/4 तथा प्रतिवादिया न. 1 का
हिस्सा 1/4 ग. नया खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 196 रकबा 0.06 है. स्व.
नारायणी बेवा रूपा हिस्सा 3/4 एवं प्रतिवादिया न. 1 का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा
1/2 ध. नया खाता संख्या 95 खसरा नम्बर 185 रकबा 0.0100 हैक्टर स्व.
नारायणी का हिस्सा 3/4 प्रतिवादिया न. 1 का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2।
स्व. रूपा की मृत्यु के उपरांत उनके द्वारा छोड़ी गयी कृषि भूमि में हिस्सा 3/4 की
स्व. नारायणी एक मात्र मालिक स्वामी खातेदार काविज काशत थी तथा प्रतिवादिया
न. 1 द्वारा स्वयं के हक व हिस्से की भूमि प्राप्त कर ली गयी थी तथा स्व. नारायणी
द्वारा रजिस्टर्ड गादेनामा दिनांक 27.5.04 के द्वारा वादी को स्वयं के नाम की सम्पत्ति
का एक मात्र मालिक स्वामी काविज होना स्वीकृत किया है। दिनांक 19.7.2006 को
श्रीमति नारायणी देवी की मृत्यु हो गयी। प्रतिवादिया न. 1 ग्राम शिकारपुरा में रहती
है तथा प्रतिवादी न. 2 व 3 ग्राम मूंडली तहसील बस्सी में रहती है। स्व. नारायणी
की खातेदारी की कृषि भूमि पर वादी का वर्षों से कब्जा काशत है एवं वही निवास
करता है। वादी का इसी स्थान से दत्तक पुत्र का राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, पैन
कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र बना हुआ है एवं विद्युत बिल भी वादी के नाम
से ही आता है। वादी स्व. रूपा एवं स्व. नारायणी का वैधिक गोद पुत्र है एवं वादी
मीणा जाति का है तथा कानूनन मीणा जाति में पिता द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति में
विवाहित पुत्रियों का किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होता
है। यह कि प्रतिवादिनी न. 1 ता 3 ने राजस्व कर्मियों से मिलीभगत कर परिवार का
मिथ्या कुर्सीनामा प्रस्तुत किया जिसमें वादी के नाम का कही दर्ज नहीं करवाया एवं
स्व. नारायणी की खातेदारी एवं कब्जेकाशत की कृषि भूमि वर्णित मद न. 4 के
द्वितीय पैरा के उपमद में वर्णित भूमि का प्रतिवादिया न. 1 ता 3 ने हिस्सा बराबर
करवाकर जरिये नामांतरण संख्या 159 के पटवारी द्वारा मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत
करवाकर स्व. नारायणी की खातेदारी की भूमि का दिनांक 19.1.2016 को प्रतिवादिया

✓
अधिकारी
(सौगानेर)

ता 3 ने से गैर कानूनी रूप से प्रतिवादिया न. 4 से स्वयं के नाम का नामांतरण स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं के नाम का अंकन करवा दिया जो कि अवैध अमान्य व निरस्तनीय है। नामांतरण संख्या 159 को खोलने में पटवारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मौके की जाँच नहीं की गयी एवं नावादी को किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया। पटवारी द्वारा दिनांक 18.1.2016 को जो रिपोर्ट प्रतिवादी न. 4 के समक्ष प्रस्तुत की वह मिथ्या आधारों पर पेश की गयी है। इसके उपरांत नामांतरण स्वीकृत किया गया है जो कतई अवैध अमान्य व निष्प्रभावी है। दिनांक 6.3.2016 को सुबह 10 बजे प्रतिवादिया न. 1 ता 3 स्वयं के साथ 5-7 व्यक्तियों को लेकर वादग्रस्त भूमि पर आये एवं भूमि में नाप लेख करने लगी। वादी ने नाप जाँच का कारण पछा तो प्रतिवादिया न. 1 ता 3 ने कहा कि उक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि उनके नाम से है तथा इस भूमि को वह साथ आये व्यक्तियों को विक्रय कर इस भूमि पर कब्जा करवायेंगी, वादी ने इन्हे ऐसा ना किये जाने के लिये कहा तो वादी के साथ गाली गलौच व अभद्र व्यवहार किया, आवाजे सून आस पास के कई लोग आ गये उनके आने पर प्रतिवादिनीगण उस वक्त तो चली गयी लेकिन जाते जाते वादी को धमकी देकर गयी है कि हम हमारे नाम लगी वादग्रस्त भूमि का विक्रय करके ही रहेंगे तुम्हारे जो मर्जी में आये वह करों। यदि प्रतिवादिया न. 1 ता 3 स्वयं के मंसूबों में कामयाब हो गयी एवं वादग्रस्त भूमि का किसी अन्य शख्स के रहन बय हस्तान्तरण करके वादी को भूमि में जबरन बेदखल कर दिया तो वादी स्वयं की हक अधिकार व कब्जेकाशत की भूमि से सदैव के लिये महरूम हो जावेंगा एवं वादी को ऐसी क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी सूरत में संभव नहीं हो पावेंगा। वादी अधिकारी है कि वह प्रतिवादिया न. 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवा दें कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि वर्णित का अन्य किसी व्यक्ति, सरथा, कम्पनी आदि को रहन बय हस्तांतरण आदि ना करे ना करवायें एवं ना ही वादी को जबरन बेदखल करे व करावें तथा ना ही वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न करे व करावें तथा प्रतिवादी न. 4 राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन ना करे ना करवावें। वादी अधिकारी है कि वह नामांतरण संख्या 159 दिनांक 19.1.2016 को निरस्त करवाकर इस आशय की श्रीमान न्यायालय से घोषणा करवावें कि वादी मद न. 4 में स्व. नारायणी की खातेदारी की कृषि भूमि हिस्सा 3/4 का एक मात्र खातेदार काबिज काशत है एवं राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती कर वादी के नाम का इन्द्राज करवाया जावें। प्रतिवादी न. 4 को विधिवत नोटिस दिया जाकर वादपत्र प्रस्तुत किये जाने का मकसद ही फौत हो जावेंगा इस कारण नोटिस के अभाव में वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। वादी द्वारा दिनांक 19.1.2016 को नामांतरण संख्या 159 की जानकारी

पर नामांतरण के विरुद्ध श्रीमान कलेक्टर महोदय जयपुर के समक्ष दिनांक 2.2.2016 को अपील प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है। विनाय दावा प्रतिवादिया नं. 03 द्वारा राजिशन दिनांक 10.1.2016 को प्रतिवादी नं. 04 से नामान्तरण कृत करवाये जाने तत्पश्चात दिनांक 6.3.2016 को वादग्रस्त भूमि का विक्रय कर रूप कब्जा किये जाने की धमकी दिये जाने से उत्पन्न होकर निरंतर उत्पन्न हो। वादग्रस्त सम्पत्ति श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने के कारण न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त सम्पत्ति की स्थित बाबत धोषणा दुरुस्ती स्थाई निषेधाज्ञा पर उचित न्यायशुल्क पर वादपत्र है। वादपत्र समयावधि में प्रस्तुत है। वादी अधिकारी है कि वादी का वाद पत्र बाबत धोषणा व दुरुस्ती विरुद्ध प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के विरुद्ध डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की धोषणा की जावे कि वादी मद नं. 4 में स्व. नारायणी की खातेदारी की कृषि भूमि हिस्सा 3/4 का एक मात्र खातेदार काबिज काश्त है एवं राजस्व रिकोर्ड में दुरुस्ती कर वादी के नाम का इन्द्राज करवाये जाने का अधिकारी है। वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे श्रीमति नारायणी के हिस्सा 3/4 की वादग्रस्त कृषि भूमि वर्णित मद नं. 4 का अन्य किसी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी आदि को रहन बय हस्तांतरण आदि ना करे ना करवावे एवं ना ही वादी को जबरन बेदखल करे व करावे तथा ना ही वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न करे व करावे। तथा प्रतिवादी नं. 4 राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन ना करे ना करवावे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। अन्य अनुतोष जो मुफिद वादी हो अता फरमाया जावे।

यह कि वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के नोटिस जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी संख्या एक ता तीन मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो ने जबाब दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादपत्र का मद नं. 1 दुरुस्त है। वादपत्र का मद नं. 2 मे यह दुरुस्त है कि वादी के असल पिता श्री गौरीलाल मीणा थे, जिनके स्व. रूपा पुत्र ग्यारसीलाल मीणा वादी के पिता के लोका लागते थे तथा इनके तीन पुत्रिया थी इसके अलावा अन्य कोई जाईन्दा संतान नहीं थी तथा वादी की सार संभाल, परवरिश विवाह आदि स्व. नारायणी पत्नी रूपा द्वारा किये गये एवं वादी के साथ ही स्व. नारायणी निवास करती रही है। वादपत्र का मद नं. 3 मे यह दुरुस्त है कि स्व. रूपा की मृत्यु दिनांक 22.2.2001 को हो गयी तथा उनकी मृत्यु के उपरांत प्रतिवादिया की माता श्रीमति नारायणी देवी द्वारा एक गोदनामा दिनांक 21.5.2004 को उपपंजीयक सांगानेर के समक्ष रजिस्टर्ड करवाया जिसमे स्व. नारायणी देवी द्वारा वादी को अपनी समस्त चल व अचल

अधिकारी
देवी (सांगानेर)

प्रति खातेदारी व आबादी भूमि को मालिक स्वामी होना स्वीकार किया गया
 वादपत्र के मद न05 उपपमदन ,क,ख,ग,घ में वर्णित भूमि का प्रतिवादी न0 2 व 3
 द्वारा स्वयं की माता नारायणी देवी के हक में दिनांक 24.5.2001 को हक त्याग
 किया जा चुका है। जबकि प्रतिवादिया न 01 द्वारा स्वयं के हक व हिस्से का हक
 त्याग स्व0 नारायणी के हक में नहीं किया गया। इस कारण उक्त वर्णित खसरा
 नंबरान की भूमि से प्रतिवादीया न01 का हिस्सा 1/4 एवं स्व0नारायणी देवी का
 हिस्सा 3/4 दर्ज हुआ। वादपत्र का मद न, 5 दुरुस्त है। इस मद में समस्त तथ्य
 पूर्णतया सही एवं स्वीकार है। वादपत्र का मद न, 6 में यह दुरुस्त है कि स्व,
 नारायणी देवी की मृत्यु 19.7.2006 को हो गयी तथा प्रतिवादी न. 2 व 3 ग्राम
 मंडली तहसील बस्सी में निवास करती है तथा वादी स्व, नारायणी देवी की भूमि पर
 वर्षों से कब्जा काश्त एवं निवास करता आ रहा है एवं वादी स्व0 नारायणी देवी का
 वैधिक गोद पुत्र है पूर्णतया सही है एवं प्रतिवादिया न 1 व 2 द्वारा वादी को सदैव
 सगे भाई का दर्जा दिया गया है। वादपत्र का मद न, 8 जिस प्रकार से वर्णित किया
 गया है कतई गलत व अस्वीकार है। इस मद में यह कतई गलत लिखा कि
 प्रतिवादी न, 1 व 2 द्वारा राजस्व कर्मियों से मिलीभगत कर परिवार का मिथ्या *
 कुर्सीनामा प्रस्तुत किया गया हो अपितु इस मद में वर्णित कुर्सीनामे की प्रतिवादिया
 न, 1 व 2 को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। चूंकी प्रतिवादी न 02 द्वारा
 स्वयं के हक व हिस्से का स्वयं की माता स्व, नारायणी देवी के हक में दिनांक 24.
 5.2001 को हक त्याग कर दिया गया है। इस कारण प्रतिवादिया न, 2 का उक्त
 वर्णित भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है तथा भूमि वादी
 की खातेदारी में लगायी जाती है तो प्रतिवादी न, 1 व 2 को कोई उज्र व आपत्ति
 नहीं है। वादपत्र का मद न. 8 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादपत्र का मद
 न.9 कतई गलत व अस्वीकार है। वादपत्र का मद न. 10 कतई गलत व अस्वीकार
 है। वादपत्र के मद न. 11 में वादी द्वारा वांछित अनुतोष से प्रतिवादिया न. 1 व 2
 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। स्व. नारायणी द्वारा स्वयं के हिस्से की
 समस्त भूमि मय मकानात के वादी को दी गयी है। वादपत्र के मद न. 12 में यदि
 वादी को मद न. 4 में स्व. नारायणी की खातेदारी की कृषि भूमि का हिस्सा 3/4
 का खातेदार काबिज काश्त घोषित किया जाता है एवं इसी अनुक्रम में राजस्व
 रिकोर्ड में दुरुस्ती इन्द्राज किया जाता है तो प्रतिवादिया न. 1 व 2 को किसी भी
 प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तथा स्व. श्रीनारायणी की खातेदारी की कृषि भूमि
 में प्रतिवादिया न. 1 व 2 किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा प्राप्त नहीं करना
 चाहती है एवं ना ही प्रतिवादिया न. 1 व 2 ने तहसीलदार सांगानेर से स्वयं के हक
 में नामांतरण स्वीकृत करवाया है। वादपत्र का मद न. 13 कानूनी है। वादपत्र का
 मद न. 14 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादपत्र का मद न. 15 जानकारी

अधिकारी
 2 द्वितीय (सांगानेर)

अभाव में अस्वीकार है। वादपत्र का मद न. 16 कानूनी है। वादपत्र का मद न. कानूनी है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी द्वारा वाञ्छित त्रुष दिये जाने में प्रतिवादीया न० 1 व 2 को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हैं। प्रतिवादी संख्या तीन ने जबाब दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी असल पिता भोरीलाल मीणा थे जिनके स्व० रुपा पुत्र ग्यारसीलाल मीणा रिश्ते में वादी के पिता के चाचा लगते थे। उनके केवल मात्र तीन पुत्रीया थी एवं इसके अलावा अन्य कोई जायन्दा सन्तान नहीं थी। परन्तु इस चरण संख्या में यह लिखना अत है कि स्व० रुपा एवं नारायणी द्वारा बचपन में ही वादी को गोद ले लिया था तथा वादी की सार संभाल परवरिश विवाह आदि स्व० नारायणी पत्नी रुपा द्वारा किये गये। सही तथ्य यह है कि स्व० रुपा व नारायणी ने कभी भी वादी को गोद नहीं लिया। वादपत्र की चरण संख्या तीन में स्वरूपा की दिनांक 22.02.2001 को मृत्यु होना स्वीकार है परन्तु स्व० रुपा की मृत्यु के उपरान्त रमती नारायणी देवी द्वारा कोई तथाकथित गोदनामा उपपंजीयक सांगानेर के समक्ष रजिस्टर्ड नहीं करवाया। इस खरण में यह लिखना आवश्यक है कि मिन प्रतिवादी माता श्रीमी नारायणी देवी को वादी द्वारा गुमराह कर उक्त सम्पत्ति को हडपने की नियत से झूठा वुर्जे दस्तावेज तथाकथित गोदनामा तैयार करवाया है इस कारण वादी का वाद चलने योग्य नहीं है काबिले खारिज है। मिन प्रतिवादी संख्या दो व तीन ने अपने हक व हिस्से का हक त्याग अपनी माता श्रीमती नारायणी देवी के नाम करवाया था जो उसकी मृत्यु के उपरान्त मिन प्रतिवादी का हिस्सा उसकी विधिक वारिस होने के कारण बददस्तूर निहित है। वादी द्वारा फर्जी व कूठरचित तथाकथित गोदनामे के आधार पर सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं होता है उक्त दस्तावेजात को निरस्त करवाने के लिए मिन प्रतिवादी अलग से कार्यवाही अमल में लायेगी। मिन प्रतिवादी अपनी माता की मृत्यु के उपान्त अपने हिस्से की भूमि की देखभाल व सार संभल करती आ रही है। पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट व कब्जे के आधार पर प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन के हक में नामान्तरण संख्या 159 तस्दीक किया है जो सही है। तथा प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन ही स्व० श्रीमती नारायणी देवी के विधिक वारिस है। इस कारण भी वादी का वाद चलने योग्य नहीं है काबिले खारिज है। वादी श्रीमती नारायणी देवी का कोई विधिक वारिस ही नहीं है केवल जमीन हडपने के लिए यह झूठा वाद पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है काबिले खारिज है। विवादित आराजीयात मिन प्रतिवादी की पैतृक भूमि है जिस पर मिन प्रतिवादी का कब्जा है तथा जिसकी मिन प्रतिवादी अपने हक में किसी प्रकार से उपयोग उपभोग करने व विक्रय करने का कानून अधिकार प्राप्त है। जादी मिन प्रतिवादीकी पैतृक भूमि किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का कानून अधिकार नहीं रखता है। मिन प्रतिवादी की माता के नाम से खातेदारी भूमि जिसने

प्रतिवादी का जन्म से हित निहित है उसमे वादी किसी प्रकार की घोषणा करने का कोई हक अधिकार नहीं रखता है। इस कारण भी वादी का वाद पत्र नोटेस दिया जाना आवश्यक था परन्तु वादी ने बिना कानूनी नोटिस दिये व कानूनी नोटेस दिये जाने की अनुमति लिये बिना ही वाद पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है काविले खारिज है। दिनांक 19/1/2016 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ बिना वादकारण के ही वादी ने यह वाद पत्र पेश किया है। बिना वाद कारण के यह वाद पत्र चलने योग्य नहीं काविले खारिज है। वादी श्रीमान न्यायालय के समक्ष कलिन हैड से नहीं आया तथ्य छुपाकर यह वाद पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं काविले खारिज है। वादी स्व० श्रीमती नारायणी देवी का दत्तक पुत्र होता तो वादी को नारायण देवी की कृषि भूमि की रजिस्ट्री करवाने की आवश्यकता नहीं होती। केवल स्व० श्रीमती नारायण देवी की जमीन को हडपने की नियत से झुठा तथाकथित गोदनामा तैयार करवाया है। प्रतिवादी संख्या एक व दो वादी से मिलकर आपसी साठ गांठ करं भिन प्रतिवादी के हिस्से की भूमि को हडपने के नियत लिए झुठा वाद पत्र पेश किया है। जबकि प्रतिवादी संख्या दो ने तो स्व० श्रीमती नारायणी देवी के हक में हकत्याग भी कर चुकी है। अतः जवाब वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे तत्पश्चात वाद व जवाब दावा व दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण मे निम्न तनकियों विरचित की गई -

1 आया वादी वादपत्र के मद न० 04 मे वर्णित कृषि भूमि जो स्व० नारायणी देवी की खातेदारी की है उसमे स्वयं का हिस्सा 3/4 का खातेदार घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती करवाये जाने का अधिकारी है।
वादी

2 आया वादी वादग्रस्त भूमि वर्णित मद न० 4 बाबत प्रतिवादी न 01 ता 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने के अधिकारी है।
वादी

3 आया वादी के हक मे किया गोदनामा दिनांक 27.05.2004 झूठा व फर्जी है तथा वादी का वाद निरस्तनीय है।
प्रतिवादी

4 अनुतोष
तत्पश्चात प्रकरण को साक्ष्य वादी नियत किया गया तथा वादी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 14 का प्रस्तुत किया गया दिनांक 12.07.2017 को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 के अंतर्गत धारा 151 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या एक व दो

की हद तक वादी का वाद स्वीकार कर लिया जावे । दिनांक 23.10.2018 को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 14 स्वीकार किया गया । तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या तीन की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तत्पश्चात वादी द्वारा साक्ष्य हेतु पीडब्लू 01 रामकिशन भीणा , पीडब्लू 02 नन्दलाल भीणा पी डब्लू 03 भौरीलाल भीणा के शपथ पत्र प्रस्तुत तथा साक्ष्य में उपरोक्त गवाहों को परिक्षीत करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 01 - नामान्तरण संख्या 159 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श - 02 जमाबंदी , प्रदर्श 03 - मूल हकत्याग, प्रदर्श 04- पहचान पत्र ,प्रदर्श 05- गोदपत्र ,प्रदर्श -6 मूल असल पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 12.12.2017, प्रदर्शित करवाये तत्पश्चात वादी की अन्तिम बहस सुनी गई ।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया ।

आया वादी वादपत्र के मद न0 04 में वर्णित कृषि भूमि जो स्व0 नारायणी देवी की खातेदारी की है उसमें स्वयं का हिस्सा 3/4 का खातेदार घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करवाये जाने का अधिकारी है- उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर अधिरोपित किया गया है वादी द्वारा वादपत्र में तथ्य अंकित किये गये हैं कि वादी के असल पिता श्री भौरीलाल भीणा थे जिनके स्व. रूपा पुत्र ग्यारसीलाल भीणा रिश्ते में वादी के पिता के चाचा लगते थे। उनके केवल मात्र तीन पुत्रियाँ थी एवं इनके अलावा कोई जाईन्दा पुत्र संतान नहीं थी। स्व. रूपा एवं श्रीमति नारायणी द्वारा बचपन में ही वादी को गोद ले लिया था तथा वादी की सार संगांल, परवरिश ,विवाह आदि स्व. नारायणी पत्नी रूपा द्वारा किये गये एवं वादी के साथ ही स्व. नारायणी निवास करती रही है। वादी स्व0रूपा का वैधिक पुत्र है। स्व. रूपा की दिनांक 22.2.2001 को मृत्यु हो गयी उनकी मृत्यु उपरांत स्व. रूपा की पत्नी श्रीमति नारायणी देवी द्वारा एक गोदनामा दिनांक 21.5. 2004 को उपपंजीयक सांगानेर के समक्ष रजिस्टर्ड करवाया जिसमें श्रीमति नारायणी द्वारा वादी को स्वयं की समस्त चल व अचल सम्पत्ति खातेदारी व आबादी भूमि का एक मात्र मालिक स्वागी होना स्वीकार किया गया है। वादी के दत्तक पिता स्व. रूपा पुत्र ग्यारसीलाल भीणा का दिनांक 22.2.2001 को निधन हो गया तथा उनकी खातेदारी की निम्नानुसार कृषि भूमि रही है - क. नया खाता संख्या 93 खसरा नम्बर 201, 455, 287 से 293, 296. कुल किता 9 रकबा 1.8700 हैक्टर हिस्सा 1/10. ,ख. नया खाता संख्या 35 नम्बर 186, 187, 192, 193 कुल किता 4 रकबा 1.2500 हैक्टर सम्पूर्ण

अधिकांश
हिता (सांगानेर)

ग. नया खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 196 रकबा 0.06 हैक गै.गु.चाह ,ध.
 नया खाता संख्या 95 खसरा नम्बर 185 रकबा 0.0100 हैक्टर।
 उपरोक्तानुसार वादी के दत्तक पिता स्व. रूपा पुत्र ग्यारसीलाल की कृषि भूमि
 थी। उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादिया न 2 व 3 द्वारा स्वयं के हक व हिस्से का
 स्व. श्रीमति नारायणी देवी के पक्ष मे हक त्याग कर दिया। प्रतिवादिया न 01
 द्वारा स्वयं के हक व हिस्से को स्वयं के पास यथावत रखा इस पर राजारव
 रिकार्ड मे स्व, रूपा पुत्र ग्यारसीलाल की मृत्यु उपरांत निम्नानुसार इन्द्राज
 हुआ -क. नया खाता संख्या 93 खसरा नम्बर 201 /455, 287 से 293,296,
 कुलकिता 9 रकबा 1.8700 हैक्टर में स्व. नारायणी का हिस्सा 3/4 तथा
 प्रतिवादिया न. 1 का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/10 ख. नया खाता संख्या
 35 खसरा नम्बर 186, 187, 192, 198 कुलकिता 4 रकबा 1.2500 हैक्टर मे
 स्व. नारायणी का हिस्सा 3/4 तथा प्रतिवादिया न. 1 का हिस्सा 1/4 ग.
 नया खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 196 रकबा 0.06 है. स्व. नारायणी देवा
 रूपा हिस्सा 3/4 एवं प्रतिवादिया न. 1 का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2
 ध, नया खाता संख्या 95 खसरा नम्बर 185 रकबा 0.0100 हैक्टर स्व.
 नारायणी का हिस्सा 3/4 प्रतिवादिया न. 1 का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा
 1/2। स्व. रूपा की मृत्यु के उपरांत उनके द्वारा छोडी गयी कृषि भूमि में
 हिस्सा 3/4 की स्व. नारायणी एक मात्र मालिक स्वामी खातेदार काबिज
 काशत थी तथा प्रतिवादिया न. 1 द्वारा स्वयं के हक व हिस्से की भूमि प्राप्त
 कर ली गयी थी तथा स्व. नारायणी द्वारा रजिस्टर्ड गादेनामा दिनांक 27.5.04
 के द्वारा वादी को स्वयं के नाम की सम्पत्ति का एक मात्र मालिक स्वामी
 काबिज होना स्वीकृत किया है। दिनांक 19.7.2006 को श्रीमति नारायणी देवी
 की मृत्यु हो गयी। प्रतिवादिया न. 1 ग्राम शिकारपुरा में रहती है तथा
 प्रतिवादी न. 2 व 3 ग्राम मूंडली तहसील बस्सी मे रहती है। स्व. नारायणी
 की खातेदारी की कृषि भूमि पर वादी का वर्षों से कब्जा काशत है एवं वही
 निवास करता है। वादी का इसी स्थान से दत्तक पुत्र का राशन कार्ड, वोटर
 लिस्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र बना हुआ है एवं विद्युत बिल
 भी वादी के नाम से ही आता है। वादी स्व. रूपा एवं स्व. नारायणी का
 वैधिक गोद पुत्र है एवं वादी मीणा जाति का है तथा कानूनन मीणा जाति मे
 पिता द्वारा छोडी गयी सम्पत्ति मे विवाहित पुत्रियो का किसी भी प्रकार का
 कोई हक व अधिकार उत्पन्न नही होता है तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो
 ने द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि वादी के वाद मे अंकित तथ्य सही छै
 तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है
 तथा प्रतिवादी संख्या तीन के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद मे

अंकित तथ्यों का खण्डन किया गया है परन्तु प्रतिवादी संख्या तीन के द्वारा अपने जबाब में अंकित तथ्यों के समर्थन में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा ना ही किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की ऐसी अवस्था में प्रतिवादी संख्या तीन ने वादी के वाद के तथ्यों का खण्डन नहीं किया है तथा वादी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 01 - नामान्तरण संख्या 159 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श - 02 जमाबंदी, प्रदर्श 03 - मूल हकत्याग, प्रदर्श 04- पहचान पत्र, प्रदर्श 05- गोदपत्र, प्रदर्श -6 मूल असल पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 12.12.2017 के अवलोकन से स्पष्ट प्रमाणित है कि वादी स्व० रुपा व नारायणी का गौद पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या तीन के द्वारा पूर्व में ही अपने हक व हिस्से का हक त्याग स्व० नारायणी के पक्ष में कर दिया गया था तथा नारायणी के हिस्से की भूमि का उसकी मृत्यु के उपरान्त विधिक उत्तराधिकारी होने से स्व० नारायणी के हिस्सा 3/4 का खातेदार काश्तकार वादी है तथा वादी ने उक्त तनकी को दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया प्रमाणित किया है अत उक्त तनकी वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

आया वादी वादग्रस्त भूमि वर्णित मद न० 4 बाबत प्रतिवादी न 01 ता 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने के अधिकारी है- उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर अधिरोपित किया गया। वादी द्वारा तनकी संख्या एक को साबित किया गया है ऐसी अवस्था में विधि अनुसार एक खातेदार को अन्य व्यक्ति के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है अत वादी ने उक्त तनकी को दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया प्रमाणित किया है अत उक्त तनकी वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

आया वादी के हक में किया गोदनामा दिनांक 27.05.2004 झूठा व फर्जी है तथा वादी का वाद निरस्तनीय है- यह कि उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर अधिरोपित किया गया। परन्तु प्रतिवादी संख्या एक व दो ने वादपत्र को डिकी किये जाने बाबत निवेदन किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या तीन के द्वारा उक्त तनकी को साबित करने हेतु ना तो किसी प्रकार की कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की तथा वादी द्वारा प्रस्तुत गोदनामा दिनांक 27.05.2004 रजिस्टर्ड गोदनामा है ऐसी अवस्था में विधि अनुसार किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज में अंकित तथ्यों को साक्ष्य विधि अनुसार तब तक सही व सत्य माने जायेंगे जब तक दस्तावेजात में अंकित तथ्यों का साक्ष्य विधि के अनुसार खण्डित नहीं कर दिया जाता है

परन्तु हस्तगत प्रकरण मे गोदनामे के तथ्य को प्रतिवादी संख्या एक व दो स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या तीन के द्वारा गोदनामे व गोदनामे मे अंकित तथ्यो को खण्डित नही किया गया है ऐसी स्थिति मे विधि अनुसार उक्त तनकी को प्रतिवादीगण द्वारा साबित नही किया गया है इसलिए उक्त तनकी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है तथा वादी के पक्ष मे निर्णित किया जाता है।

अत उपरोक्त विवाधको की विवेचना के आधार पर वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 93 खसरा नम्बर 201 /455, 287 से 293,296, कुलकिता 9 रकबा 1.8700 हैक्टर में हिस्सा 3/4 ,खाता संख्या 35 खसरा नम्बर 186, 187, 192, 198 कुलकिता 4 रकबा 1.2500 हैक्टर मे हिस्सा 3/4 ,खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 196 रकबा 0.06 है. मे हिस्सा 3/4 ,खाता संख्या 95 खसरा नम्बर 185 रकबा 0.0100 हैक्टर मे हिस्सा 3/4 वाके ग्राम इन्द्रपुरी तहसील सांगानेर जिला जयपुर का खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है तथा नामांतरण संख्या 159 दिनांक 19.1.2016 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है वादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 93 खसरा नम्बर 201 /455, 287 से 293, 296, कुल किता 9 रकबा 1.8700 हैक्टर में हिस्सा 3/4 ,खाता संख्या 35 खसरा नम्बर 186, 187, 192, 198 कुलकिता 4 रकबा 1.2500 हैक्टयर मे हिस्सा 3/4 ,खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 196 रकबा 0.06 है. मे हिस्सा 3/4 ,खाता संख्या 95 खसरा नम्बर 185 रकबा 0.0100 हैक्टर मे हिस्सा 3/4 वाके ग्राम इन्द्रपुरी तहसील सांगानेर जिला जयपुर के राजस्व अभिलेखो मे वादी का नाम अंकित करे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की कोई मजाहमत उत्पन्न नही करे।

निर्णय आज दिनांक 15/12/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश नायक)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर जिला (सांगानेर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर